

कार्यालय सचिव, द्वेत्रीय परिवहन प्राधिकार संभाग, रायपुर (छ.ग.)

नरस्ती क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

विषय :- मालयान क्रमांकको केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के नियम 86 की धारा 88 एवं नियम 1989 के नियम 86 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पत्र स्वीकृत किये जाने बाबत आवेदन पत्र ।

1. केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 एवं नियम 1989 के नियम 86 के अंतर्गत मालयान क्रमांकके पंजीकृत स्वामी श्री
पिता श्री
निवासी
अपनी वाहन को राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित फार्म का विहित शुल्क रु. चालान क्रमांक/रसीद क्रमांकदिनांकको जमा कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसका चालान रिकनसाईल दिनांकको किया गया है ।
2. वाहन का कलर सत्यापन दिनांककोद्वारा किया गया है ।
3. इस पंजीकृत वाहन पर पंजीयन तिथि से किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है एवं त्रैमासिक कर दिनांकतक जमा है ।
4. बीमा की वैद्यताहै ।
5. फिटनेश की वैद्यताहै ।
6. वाहन का मॉडलतथा पंजीयन तिथिहै ।
वाहन का चेसीस क्र.तथा इंजन क्र.
अतः वाहन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का प्राधिकार पत्र आगामी पांच वर्षों के लिये इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जा सकता है कि दिनांकको समाप्त हो जावेगा ।
7. वाहन का सकलयान भारएवं लदान रहित भारहै ।
8. वाहन इसी / उप कार्यालय द्वारा पंजीबद्ध है ।
9. वाहन स्वामी के स्वामित्व के पूर्व मालयान परमिट की जानकारी
एवं वाहन की संख्या
10. प्रस्तुतकर्ता :-
आवेदक का नाम श्रीमोबाईल नं.
वाहन स्वामी के प्रतिनिधि का नाममोबाईल नं.

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है । .